भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1465**
28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय- प्रमाणित बीजों की उपलब्धता**

**1465. श्री जी. सेल्वम:**
**डॉ. रानी श्रीकुमार:**
**श्री सी. एन. अन्नादुरई:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में खरीफ और रबी मौसमों के लिए प्रमाणित बीजों की उपलब्धता का आकलन किया है और क्या मौजूदा स्टॉक किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाए रखे गए बीज भंडारों का ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु के लिए कितनी मात्रा निर्धारित की गई है;

(ग) राज्य में किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या तमिलनाडु के सूखा संभावित जिलों में संभावित पुन: बुआई के लिए कम अवधि वाले और कम पानी की आवश्यकता वाले बीजों की किस्मों का स्टॉक किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) तमिलनाडु में जिला-वार आपूर्ति किए गए बीजों का ब्यौरा क्या है तथा जलवायु-अनुकूल कृषि को मजबूत करने और प्रतिकूल मौसम की स्थिति से किसानों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): जी, हाँ। तमिलनाडु सरकार प्रत्येक बुवाई मौसम (खरीफ और रबी) से पूर्व प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करती है। राज्य द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार खरीफ 2026 और रबी 2026-27 के लिए प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता इस प्रकार हैं:

| मौसम | आवश्यकता (MT) | उपलब्धता (MT) |
|---|---|---|
| खरीफ 2026 | 30,176 | 34,773 |
| रबी 2026-27 | 1,03,877 | 1,09,932 (अपेक्षित) |

(ख): वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय बीज रिज़र्व के अंतर्गत, तमिल नाडु को कुल 3,450 क्विंटल (खरीफ-1,750 क्विंटल; रबी-1,700 क्विंटल) का लक्ष्य आवंटित किया गया है। राज्य द्वारा अनुरक्षित बीज रिज़र्व का फसल-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग): सरकार ने किसानों को प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक तंत्र स्थापित किया है। उन्नत किस्मों के ब्रीडर बीज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों तथा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। सभी बीज बैचों को आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता और अंकुरण के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, बीज निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण, यादृच्छिक नमूना परीक्षण और बाजार निगरानी की जाती है ताकि बीज अधिनियम, 1966; बीज नियम, 1968; तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले एजेंसियों और विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जिसमें निम्न-स्तरीय बीज बैचों की जब्ती, लाइसेंस रद्द करना और कानूनी कार्यवाही शुरू करना शामिल है।

बीज की ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन और समग्र इन्वेंट्री (साथी) पोर्टल, बीज आपूर्ति श्रृंखला में संपूर्ण डिजिटल ट्रेसबिलिटी प्रदान करता है, जिससे किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज पहुँचाने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

(घ) और (ङ): जी, हाँ। तमिलनाडु के सूखा-प्रवण जिलों में आकस्मिक पुनःबुवाई हेतु पर्याप्त मात्रा में अल्पकालिक और कम जल-आवश्यकता वाली बीज किस्में संग्रहित की गई हैं। राज्य में बीज भंडार का फसल-वार विवरण इस प्रकार है:

| **क्रम संख्या** | **फसल** | **बीज की मात्रा (MT में)** |
|---|---|---|
| 1. | धान | 7,472.00 |
| 2. | रागी | 424.57 |
| 3. | उड़द | 2,195.00 |
| 4. | मूंग | 119.00 |
| 5. | लोबिया | 88.00 |
| 6. | तिल | 64.00 |
| | **कुल** | **10,362.57** |

(च): जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने और जलवायु-अनुकूल कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (NARES) के माध्यम से उच्च उत्पादकता वाली, जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों के विकास और अपनाने को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच कुल 2,996 जलवायु-अनुकूल किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें तमिल नाडु में खेती के लिए उपयुक्त किस्में भी शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) नियमित रूप से सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, जिनमें तमिल नाडु भी शामिल है, को इन उन्नत किस्मों को उनकी राज्य बीज रोलिंग योजनाओं में शामिल करने और समय पर ब्रीडर बीज की मांग प्रस्तुत करने की सलाह देता है ताकि उन्हें आधार बीज और प्रमाणित बीजों में परिवर्तित किया जा सके।

तमिल नाडु सरकार द्वारा सूचित, वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य में जिला-वार बीज आपूर्ति का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

तमिल नाडु में जलवायु-अनुकूल कृषि को सुदृढ़ करने और किसानों को प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से बचाने हेतु लागू प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

i. एकीकृत कृषि प्रणालियों और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना ताकि कृषक समुदायों की अनुकूलता बढ़े।

ii. किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत फसल बीमा कवरेज लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

iii. सूक्ष्म सिंचाई और अन्य जल-संचयन तकनीकों के माध्यम से कुशल जल प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देना।

iv. वैकल्पिक फसल प्रणालियों को प्रोत्साहित करना, जैसे मिलेट्स, दालें और तिलहन जैसी कम जल-आवश्यकता वाली फसलों की खेती, साथ ही अल्पकालिक और सूखा/बाढ़ सहिष्णु किस्मों का प्रचार।

v. सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, जैसे हरित खाद, जैव-उर्वरक और जैव-नियंत्रक एजेंटों का उपयोग, ताकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो।

उक्त हस्तक्षेप विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सतत कृषि को बढ़ावा देना, संसाधन-उपयोग दक्षता में सुधार करना, मृदा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना और कृषि प्रणालियों की अनुकूलता को मजबूत करना है।

**अनुबंध-I**

## तमिल नाडु राज्य में बीज भंडार की फसल-वार मात्रा का विवरण

| क्रम | फसल | स्थान | मात्रा (क्विंटल में) |
|---|---|---|---|
| **संख्या** | **खरीफ-2026 (15 अगस्त तक बनाए रखना है)** | | |
| 1 | धान | तंजावुर | 600 |
| | | तिरुवरुर | 600 |
| | | तिरुवरुर | 300 |
| 2 | उड़द | तिरुवरुर | 50 |
| | | तंजावुर | 50 |
| 3 | मूंग | तिरुवरुर | 50 |
| | | तिरुवरुर | 50 |
| 4 | रागी | कृष्णागिरि | 50 |
| **कुल** | | | **1750** |
| **रबी-2026 (15 दिसंबर तक बनाए रखना है)** | | | |
| **S. No.** | **Crop** | **Location** | **Quantity (Qtl)** |
| **1** | धान | तिरुवरुर | 200 |
| **2** | उड़द | तंजावुर | 700 |
| | | तिरुवरुर | 600 |
| | | विलुपुरम | 200 |
| **कुल** | | | 1700 |
| **ग्रैंड टोटल** | | | **3450** |

**अनुबंध-II**

**वर्ष 2026-27 के दौरान सरकार द्वारा ज़िलेवार सप्लाई किए गए बीजों का विवरण**

**(मात्रा MT में)**

| जिला | धान | मिलेट्स | दलहन | तिलहन | कपास | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अरियालुर | 48.8 | 5.8 | 2.5 | 146.2 | 0.2 | 203.4 |
| चेंगलपट्टू | 40.9 | 0.3 | 0.6 | 42 | – | 83.8 |
| कोयंबटूर | 1.5 | 45.9 | 2.9 | 31.5 | 0.1 | 81.9 |
| कडलोर | 128.3 | 1.7 | 6.6 | 61.2 | – | 197.8 |
| धर्मपुरी | 45.3 | 47.4 | 12.2 | 116.7 | 0.1 | 221.7 |
| डिंडीगुल | 6.3 | 3.8 | 6.1 | 25.9 | – | 42.1 |
| इरोड | 90 | 1.6 | 17.7 | 119.9 | 0 | 229.2 |
| कल्लकुरुचि | 91.2 | 29.3 | 4.4 | 42.5 | – | 167.4 |
| कांचीपुरम | 55.8 | – | 2.8 | 29.3 | – | 87.9 |
| कन्याकुमारी | 118.7 | – | 0.6 | – | – | 119.3 |
| करूर | – | 0.7 | 0.8 | 25.1 | 0.1 | 26.7 |
| कृष्णागिरि | 43 | 15 | 25.9 | 117.6 | – | 201.5 |
| मदुरै | 6.9 | 7.8 | 3.9 | – | 1.5 | 20 |
| मयिलाडुथुरै | 73.2 | 0.1 | 97.1 | 0.3 | – | 170.7 |
| नागपट्टिनम | 10 | – | 101 | 0.5 | – | 111.5 |
| नमक्कल | 6.5 | 6.8 | 19 | 229.9 | 0.1 | 262.3 |
| पेरम्बलूर | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | – | 3 |
| पुदुक्कोट्टै | 57.6 | 1.4 | 5.1 | 65.1 | – | 129.2 |
| रामनाथपुरम | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | – | 8.3 |
| रानीपेट | 56.2 | 0.9 | 3.6 | 60.6 | – | 121.3 |
| सलेम | 8.8 | 23.1 | 84.5 | 242.7 | 0.4 | 359.5 |
| शिवगंगई | 2.2 | 0 | 2.1 | – | – | 4.3 |
| तेनकासी | 42.3 | 0 | 44.1 | 0.8 | – | 87.2 |
| तंजावुर | 211.8 | – | 221 | 40.2 | 0.1 | 473.1 |
| थेनी | 60.9 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 66.3 |
| तिरुनेलवेली | 152 | 0 | 16.4 | 1.8 | – | 170.2 |
| तिरुपत्तूर | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 97.7 | – | 110.2 |
| तिरुवल्लूर | 154.2 | 0.1 | 0 | 92.6 | – | 246.9 |
| तिरुवरुर | 115.3 | 0.1 | 90.3 | 0.2 | 0.4 | 206.3 |
| तूतीकोरिन | 8.1 | 9.6 | 21.5 | 0 | – | 39.2 |
| तिरुप्पुर | 2.7 | 16.8 | 5.8 | 63.3 | – | 88.6 |
| तिरुवन्नामलाई | 205 | 1.2 | 39.8 | 461.9 | – | 707.9 |
| त्रिची | 46.7 | 0 | 8 | 52.8 | – | 107.5 |
| वेल्लोर | 18.3 | 1.6 | 10.7 | 135.7 | – | 166.3 |
| विलुपुरम | 54.3 | 14.3 | 16.1 | 137 | – | 221.7 |
| विरुधुनगर | 3.9 | 7.6 | 5.1 | 18.5 | 0.3 | 35.4 |
| **कुल** | **1975.8** | **248.9** | **886.6** | **2465.1** | **3.4** | **5579.7** |

*****